न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 13/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भैरूलाल पुत्र भजाराम जाति–बैरवा, निवासी–खेमाण तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाड़ा।		1. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द्र जाति–भाम्बी, निवासी–गोविन्दगढ, तहसील–पींसागन, जिला–अजमेर राज.। 2. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.14/01/2019

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 27/02/2020

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा– सेवरिया तहसील–जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 9–08 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की व नक्शा ट्रेस पेश है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। प्रार्थी की अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 126 रकबा 9–08 बीघा में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता सेवरिया से पहाड़ी क्षेत्र में जाने वाले रास्ते के पास उतरी दिशा में स्थित खसरा नंबर 124 रकबा 0–14 बीघा जो अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी का है जिसकी पूर्वी माठ से होकर प्रार्थी के खेत में जाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में रास्ते को लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की खसरा संख्या 126 के खेत में रास्ते के पास उतरी दिशा में अप्रार्थी का खेत है जिसकी पूर्वी माठ से होकर अपने खेत में खड़ाई, बुवाई काश्त आदि हेतु स्वयं ट्रेक्टर, बैलगाड़ी आदि आते–जाते है। मुझ प्रार्थी के खरीद के पूर्व उक्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार भी पीढियों से नजरी नक्शे में बताये लाल रंग के रासते से ही आते जाते है मौके पर रास्ता 20 फीट चौड़ाई व लम्बाई में 30 फीट है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से अप्रार्थी बन्द करने की धमकी दी व कई बार रास्ते से प्रार्थी को खेत में जाने पर काटे डालकर अवरोध भी किया। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई रास्ता का विकल्प नहीं होने से प्रार्थी ने विधिक प्रावधानों के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नंबर 126 के खेत में जाने हेतु नजरी नक्शे में बताये लाल रंग के रासते से ट्रेक्टर लेकर दिनांक 31.12.2018 को खड़ाई करने हेतु जाने लगा, तो अप्रार्थी ने रास्ते पर खन्दक व अंग्रेजी बबूल के काटे डालकर बन्द करने लगा प्रार्थी ने समझाइश की तो अप्रार्थी नहीं माना तब प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

इन्द्राज करने बाबत यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत किया। प्रार्थी के खेत में जाने हेतु एकमात्र रास्ता बंद हो जाता है तो प्रार्थी अपनी भूमि में काश्त नहीं कर पायेगा व अपूरणीय क्षति होगी। विवाद बढेगा, प्रार्थी रास्ते की भूमि के एवज में अप्रार्थी संख्या 01 को भूमि देने को तैयार है व अप्रार्थी की भूमि से जितनी भूमि रास्ते में जाती है उसके लिए डीएलसी की रकम देने को तैयार है। प्रार्थी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में रहने वाले है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई का श्रवणाधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रास्ते सम्बन्धी प्रकरणों में संक्षिप्त जांच उपरान्त निस्तारण अपेक्षित होता है। तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया कि ग्राम– सेवरिया के खसरा नंबर 124 रकबा 0–14 बीघा किस्म बा.अ. में खातेदार कानाराम पुत्र गुलाबचन्द कौम भाम्बी सा गोविन्दगढ तहसील– पीसांगन जिला–अजमेर के नाम है। जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 126 रकबा 9–08 बीघा किस्म बारानी दोयम में अपने जाने हेतु वाछित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित भूमि में अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा पटवारी रिपोर्ट में दर्शाया गया है। खसरा नंबर 124 रकबा 0–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से होकर गुजरेगा निकी लम्बाई 55 फीट एवं चौड़ाई 30 फीट यानि 1650 वर्गफीट यानि 02 बिस्वा है। प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की डीएलसी दर 29820 रूपये प्रति बीघा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं पटवारी सेवरिया द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 126 से लगता हुआ खसरा संख्या 129 जो कि गैर मुमकिन बाली के रूप में दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा और कोई विकल्प उसके पास उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपने खसरे से लगते हुए उक्त गैर मुमकिन बाली से कृषि प्रयोजनार्थ आवागमन आसानी से कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मात्र सुविधा के लिए रास्ते की मांग की गई है जो कि स्वीकार नहीं की जा सकती है लिहाजा हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.03 11:34:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: